निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-26/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी, व0ले0प0 एवं श्री प्रवीण कुमार एवं बी0एस0त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.06.17 से 12.06.17 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा कुमारी सरुनी शर्मा, ले0प0 एवं श्री दीपक मालवीय, हिमांशु मणि, श्री पी0के0गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.05.15 से 04.06.15 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2011 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह ..... से ..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह .....से ..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2.

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - हरिद्वार बाईपास ISBT की ओर बाई तरफ, मोथरावाला

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2014-15	1045.98
2015-16	1205.39
2016-17	1680.35

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	-	-	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-	-	-

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -बी--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव वाणिज्य कर, आयुक्त कर वाणिज्य कर, एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में .....को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन .....की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व: माह..... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह .....लागू नहीं ...को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर संख्या-**1** कर का अनारोपण **₹** 0.15 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के धारा 8(4) के उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे किसी बिक्री पर तब तक लागू नही होगे, जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे माल बेचा गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारुप मे सम्यक रुप से भरी हुई और हस्ताक्षरित-घोषणा, जिसमे विहित विवरण अन्तर्विष्ट हो, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दें।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री वियर्सड्रोफ इण्डिया प्रा0लि0 क0नि0 वर्ष 2013-14 के केन्द्रीय वाद मे ₹817314/- के बिक्री फार्म-एफ के विरुद्ध किया गया था। पत्रावली मे संलग्न फार्म-एफ की सूची के जांच मे पाया गया कि ₹ 302526/- की बिक्री का फार्म-एफ को pending दिखाया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹302526/- की केन्द्रीय बिक्री पर नियमानुसार 5% की दर से ₹15126/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा एवं नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को इंगित किये जाने पर बताया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-2 कर का न्यूनारोपण ₹0.39 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 4(2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा। साथ ही अनुसूची-III मे विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के उसमे विनिर्दिष्ट संबंध मे विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय दर बिन्दु सं0 09 पर दिनांक 30.05.2012 से 15% की दर से कर आरोपणीय होगा.

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि

(1) व्यापारी सर्वश्री एस0के0मार्केटिंग क0नि0 वर्ष 2012-13 मे इलैक्ट्रीकल गुड्स की कुल बिक्री ₹ 365964/- का किया गया था जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से ₹ 18298/- का कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु पर नियमानुसार 13.5% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा किया गया इलैक्ट्रीकल गुड्स की बिक्री ₹ 365964/- पर अन्तरीय 8.5 प्रतिशत की दर से ₹31106/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

(2) व्यापारी सर्वश्री देव ट्रेडिंग कम्पनी क0नि0 वर्ष 2012-13 मे प्रान्त बाहर से ₹ 818646/- का लकड़ी (Timber) का खरीद किया गया था। जिसे द्वतीय, तथा तृतीय त्रैमास मे कुल ₹ 560491/- का लकड़ी के बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपित किया गया था। जबकि लकड़ी के विक्रय पर नियमानुसार 15% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹560491/- के लकड़ी के बिक्री पर अन्तरीय दर 1.5% की दर से ₹8407/- का कर आरोपणीय होगा एवं नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर बताया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चधिकारी के संज्ञान मे लाया गया।

प्रस्तर संख्या-3 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.73 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही किया है तो देय कर का कम से कम दस प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा विभिन्न मदों का स्वीकृत कर बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था।

1. व्यापारी सर्वश्री प्रतीक एण्टरप्राईजेज, क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों के लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि माह जुलाई, 2013 का स्वीकृत कर ₹ 62113/- बिना किसी युक्त-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था जिस पर नियमानुसार कम से कम 10% की दर से ₹ 6211/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

2. व्यापारी सर्वश्री मंगलम आरोग्य धाम क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों के जांच मे पाया गया कि व्यापारी द्वारा माह जुलाई वं नवम्बर 2013 और जनवरी 2014 का कुल स्वीकृत कर ₹113582/- का बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था जिस पर नियमानुसार कम से कम 10% की दर से ₹11358/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

3. व्यापारी सर्वश्री अष्का रेडियोज क0नि0 वर्ष 2011-12 के अभिलेखों के लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी द्वारा अपना स्वीकृत कर मासिक रुप से न जना करके त्रैमासिक रुप से जमा किया गया था।

अत: व्यापारी द्वारा जमा किया गया कुल स्वीकृत कर ₹556795/- का बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था । जिस पर नियमानुसार कम से कम 10% की दर से ₹55679/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त तीनों बिन्दु के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-4 आई0टी0सी0 रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति ₹ 0.72 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(8) (ड़) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-III, मे विनिर्दिष्ट विलेख प्रवर्ग के माल पर आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नही होगा। एवं धारा-58(1)(XI) के अनुसार गलत रुप से आई0टी0सी0 लिये जाने पर धनराशि के तीन गुना अर्थदण्ड आरोपित होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री देव ट्रेडिंग कम्पनी क0नि0 वर्ष 2012-13 प्रान्तीय खरीद पर कुल आई0टी0सी0 ₹220620/- का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली मे संलग्न क्रय सूची के जांच मे पाया गया कि ₹ 118380/- का लकड़ी के खरीद पर ₹ 14080/- का आई0टी0सी0 का लाभ दिया गया था। जबकि दिनांक 30.05.2012 के बाद लकड़ी को अनुसूची-III के रखने के कारण आई0टी0सी अनुमन्य नही होगा।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा लकड़ी पर लिया गया आई0टी0सी ₹ 14080/- रिवर्स योग्य है। एवं नियमानुसार ₹42240/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया।

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
37/-2011-12	-	3
08/2015-16	-	1,2,3,4,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धितः - शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शन्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती सावित्र शाह	असिस्टेंट कमिश्नर
(ii)	श्रीमती राजेश्वरी	असिस्टेंट कमिश्नर
(iii)	श्री सुरेश कुमार	असिस्टेंट कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति ज्वाइंट कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क0नि0), खण्ड-7 वाणिज्य कर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र